राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना (सीकर)

सरकार बनाम ओमप्रकाश वगै.

किस्मः– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ; एसआर.नं. :– एफ–3162; मुकदमा नम्बरः– 67 / 2021

31.07.2023 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 1 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल सैनी, जाति उम्र 40 वर्ष, निवासी पलसाना रोड, वार्ड नं. 2, खण्डेला जिला सीकर, मैसर्स– मोदक स्वीट्स एण्ड बेकर्स, डॉ0 ओ पी शर्मा हॉसपीटल के पास, नेहरू पार्क, खण्डेला, जिला सीकर व अप्रार्थी संख्या 2 श्री सोनु सैनी पुत्र श्री मोहनलाल सैनी (मालिक), निवासी पलसाना रोड, वार्ड नं. 2, खण्डेला जिला सीकर मैसर्स– मोदक स्वीट्स एण्ड बेकर्स, डॉ0 ओ पी शर्मा हॉस्पीटल के पास, नेहरू पार्क, खण्डेला, जिला सीकर उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2022 को समय 04:45 पी.एम. पर खण्डेला, सीकर में निरीक्षण के लिए पहुँचा। निरीक्षण के दौरान मैसर्स मोदक स्वीट्स एण्ड बेकर्स, डॉ0 ओ पी शर्मा हॉस्पीटल के पास, नेहरू पार्क, खण्डेला, जिला सीकर पर पहुँचा। वहाँ पर श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री मोहनलाल सैनी आज जनता को खाद्य पदार्थ वनस्पति में निर्मित गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति, मावा, चीनी, इलायची से निर्मित) आदि बेच रहे थे। वहां पर विक्रेता को मैंने अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने स्वयं को उक्त संस्थान को विक्रेता व श्री सोनु सैनी पुत्र श्री मोहनलाल सैनी को मालिक होना बताया व विक्रेता से पता पूछने पर स्थायी निवासी पलसाना रोड, वार्ड नं. 2, खण्डेला जिला सीकर होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ मौके पर वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति व मालिक के आधारकार्ड की छायाप्रति पेश कि।

मैसर्स– मोदक स्वीट्स एण्ड बेकर्स पर ओमप्रकाश द्वारा वनस्पति में निर्मित गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति, मावा, चीनी, इलायची से निर्मित) का विक्रय किया जा रहा था। जिस पर मुझे मिलावट की शंका होने पर, मैसर्स पर एल्युमिनियम के भगोने में लगभग 10 किलोग्राम वनस्पति में निर्मित गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति, मावा, चीनी, इलायची से निर्मित) के स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 02 किलोग्राम वनस्पति में निर्मित गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति, मावा, चीनी, इलायची से निर्मित) का क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 440 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अमानक पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर एफ–3162 खाद्य पदार्थ वनस्पति में निर्मित गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति, मावा, चीनी, इलायची से निर्मित) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जंयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ वनस्पति में निर्मित गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति, मावा, चीनी, इलायची से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(I I) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 30,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शीर्ष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश की जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 16:05:47 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना सीकर